बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक–01/विविध–08–39–2020,परि0 -- 2253

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक– 21/4/2020

विषय– नोवल कोरोना वायरस (COVID-19)के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन की अवधि में मालवाहक वाहनों के चालकों/हेल्परों की सुविधा हेतु राष्ट्रीय मार्गों/राजमार्गों के निकट अवस्थित ढाबा/रेस्तराँ/कैन्टीन के संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रसंग– इस कार्यालय का पत्रांक–2225, दिनांक–18.04.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का कृपया स्मरण किया जाय, जिसके द्वारा मालवाहक वाहनों के चालकों/हेल्परों की सुविधा हेतु राजमार्गों (Highways) पर ढाबा खोलने की अनुमति देने हेतु निदेश निर्गत किया गया है।

उक्त क्रम में स्वास्थ्य विभाग, बिहार के पत्रांक–470 (15)/स्वा0 दिनांक 20.04.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा भी विस्तृत निदेश निर्गत किए गए हैं।

निदेशानुसार अनुरोध है कि ढाबा के संचालन हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत निदेशों का भी अनुपालन करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

21/4/2020

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

32/C:\Users\DELL\Desktop\123.docx

(60)

सचिव
21 APR 2020
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक – 15/खा० –24–05/2020 – 470(15)/स्वा०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,
संजय कुमार, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
–सह–
खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

DS 21/4/2020

पटना/दिनांक : 20 अप्रैल, 2020

विषय : नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन की अवधि में मालवाहक वाहनों के चालकों/हेल्परों की सुविधा हेतु राष्ट्रीय मार्गों / राजमार्गों के निकट अवस्थित ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन के संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रसंग : भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्रांक – 40–3/2020–DM-I (A), दिनांक : 15 अप्रैल, 2020 तथा बिहार सरकार, परिवहन विभाग , बिहार, पटना का पत्रांक : 2225, दिनांक : 18 अप्रैल, 2020।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन की अवधि को दिनांक : 03 मई, 2020 तक विस्तारित किया गया है। उक्त क्रम में भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्रांक – 40–3/2020–DM-I (A), दिनांक : 15 अप्रैल, 2020 तथा बिहार सरकार, परिवहन विभाग , बिहार, पटना का पत्रांक : 2225, दिनांक : 18 अप्रैल, 2020 के आलोक में लॉकडाउन की अवधि में मालवाहक वाहनों के चालकों/हेल्परों की सुविधा हेतु राष्ट्रीय मार्गों/राजमार्गों के निकट अवस्थित ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन का संचालन दिनांक : 20 अप्रैल 2020 के प्रभाव से किया जाना है।

उक्त के संबंध में दिनांक–16 अप्रैल, 2020 को Crisis Management Group की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में लॉकडाउन अवधि में मालवाहक वाहनों के चालकों/हेल्परों की सुविधा हेतु राष्ट्रीय मार्गों/राजमार्गों के निकट अवस्थित ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन के संचालन हेतु निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं : –

(1) <u>ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन के संचालन हेतु अनुमति</u> –

(क) जिला पदाधिकारी जिलान्तर्गत राष्ट्रीय मार्ग/राजमार्ग पर शहर से कम–से–कम प्रत्येक 10 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित एक ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन को खोलने की अनुमति प्रदान करेंगे।

(ख) राष्ट्रीय मार्ग/राजमार्ग की लंबाई अधिक रहने पर प्रत्येक 15 कि०मी० की दूरी पर एक ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन खोलने की अनुमति प्रदान करेंगे।

(ग) सीमावर्ती इलाके में पड़ने वाले दो जिलों के बीच ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन की संख्या का निर्धारण एवं स्थल का चयन संबंधित जिला पदाधिकारी आपस में समन्वय

स्थापित कर करेंगे। साथ ही, ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन सड़क के दोनों ओर हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।

(घ) ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन के संचालक जिला पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही प्रतिष्ठान का संचालन करेंगे।

(2) <u>ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन के संचालन हेतु अनुमति देने से पूर्व खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन की जाँच</u> –

(क) जिला पदाधिकारी अनुमति प्रदान करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि संबंधित ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 के तहत् केन्द्रीय अनुज्ञप्ति/राज्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन प्राप्त है अथवा नहीं। अनुज्ञप्ति/पंजीयन प्राप्त नहीं रहने की स्थिति में अनुमति प्रदान नहीं किया जाय। साथ ही, वैसे प्रतिष्ठान को चिन्हित कर अनुज्ञप्ति/पंजीयन प्राप्त करने हेतु निदेश दिया जाय।

(ख) संबंधित जिला के खाद्य संरक्षा अधिकारी –सह– अभिहित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग/राजमार्ग के निकट स्थित ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन अनुज्ञप्ति/पंजीयन प्राप्त हो। अनुज्ञप्ति/पंजीयन नहीं रहने के स्थिति में उनसे आवेदन प्राप्त कर आवेदन पर अबिलंव कार्रवाई करते हुये यथाशीघ्र अनुज्ञप्ति/पंजीयन प्रदान करेंगे। साथ ही खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 के अनुकूल प्रतिष्ठान का संचालन हो रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण कर अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(3) <u>परिसर का सैनेटाइजेशन</u> –

(क) ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन के संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन परिसर को सुबह 08:00बजे, अपराह्न 04:00 बजे एवं रात्रि 10:00 बजे सैनेटाईज किया जाय तथा सैनेटाइजेशन का लॉग–बुक प्रतिष्ठान के प्रमुख स्थल पर प्रदर्शित किया जाय। Surface की सफाई पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

(ख) Centralised System A/C का प्रयोग नहीं किया जाय।

(4) <u>प्रतिष्ठान में प्रवेश के क्रम में विशेष सावधानियाँ</u> –

मालवाहकों/हेल्परों एवं अन्य सहकर्मियों को प्रवेश के क्रम में उनके हाथों को हैण्ड सैनेटाईजर/साबुन से साफ कराने के पश्चात् ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाय। जिला प्रशासन द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(5) <u>ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन में कार्यरत कर्मियों का मेडिकल जाँच/स्क्रीनिंग</u> –

(क) प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण/स्क्रीनिंग कर ही संस्थान में प्रवेश दिया जाय अर्थात् नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के लक्षणों यथा – शरीर के तापक्रम की जॉच, सर्दी/ जुकाम इत्यादि के लक्षण है अथवा नहीं, इसकी जाँच अवश्य करायी जाय। इसके पश्चात् ही कार्य करने की अनुमति दी जाय। इसके लिए संचालक अपने स्तर से डॉक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(ख) संबंधित जिला के सिविल सर्जन को निदेशित है कि वे राष्ट्रीय मार्गों/राजमार्गों के निकटतम सरकारी अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत डॉक्टरों/मेडिकल स्टाफ के सहयोग से एक टीम का गठन कर साप्ताहिक रूप से ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन में कार्यरत कर्मियों की मेडिकल जाँच/स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6) <u>किचेन एवं बरतन के रख–रखाव की विशेष व्यवस्था</u> –

(क) किचेन में स्थित रेफ्रिजरेटर को नियमित रूप से प्रतिदिन साफ कपड़े तथा अल्कोहल आधारित सैनेटाईजर/गर्म पानी से साफ किया जाय।

(ख) खाना बनाने एवं परोसे जाने वाले बरतन को गर्म पानी तथा डिटरजेन्ट से साफ कर पुनः उसे साफ सूखे कपड़ों से पोछकर ही रखा जाय।

(ग) खाना बनाने वाले रसोइयाँ तथा खाना परोसने वाले वेटर को मास्क, ग्लाब्स, टोपी पहनना अनिवार्य किया जाय तथा समय–समय पर इन्हें बदलने तथा हाथों को समय–समय हैण्ड सैनेटाईजर/साबुन से साफ रखने हेतु निदेशित किया जाय।

(7) <u>शाक–सब्जी/फल के रख–रखाव/उपयोग हेतु विशेष सफाई की व्यवस्था</u> –

(क) बाजार से लाये जा रहे शाक–सब्जियों/फलों को साफ पानी से धोकर साफ बरतन/रेफ्रिजेरेटर में रखने की व्यवस्था की जाय।

(8) <u>ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान</u> –

(क) प्रतिष्ठान में बैठकर खाने की व्यवस्था नही होगी।

(ख) खाना बनने की अवधि तक प्रतिष्ठान में चालकों/हेल्परों/ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था होगी। एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति प्रतिष्ठान में उपस्थित नहीं रहेंगे तथा बैठने हेतु लगाये जाने वाले टेबल/कुर्सी में 01 मीटर से अधिक की दूरी होगी। यदि इस अवधि में कोई अन्य वाहन से खाना लेने हेतु आये तो उन्हें अपने वाहन में ही प्रतीक्षा करनी होगी तथा पूर्व से प्रतिष्ठान में उपस्थित व्यक्तियों के निकलने के पश्चात् ही प्रतीक्षारत व्यक्ति को प्रतिष्ठान में प्रवेश की अनुमति होगी। संचालक द्वारा ऐसी व्यवस्था लागू की जाय जिससे प्रतिष्ठान में अनावश्यक भीड़ ना हो।

(ग) प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मियों को एक–दिन के अंतराल पर कार्य हेतु बुलाया जाय, जिससे परिसर में भीड़ ना हो।

(9) <u>बड़े कार्यक्रम/आयोजन पर रोक</u> –

लॉकडाउन अवधि में बड़े कार्यक्रम यथा–बर्थ डे पार्टी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार इत्यादि का आयोजन प्रतिबंधित है। यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

(10) <u>पार्सल भोजन की व्यवस्था पर विशेष जोर</u> :–

(क) ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन संचालकों को स्पष्ट निदेश दिया जाय कि वे यह सुनिश्चित करें कि एक समय में भोजन लेने हेतु अधिक संख्या में मालवाहन/ अन्य वाहन प्रतिष्ठान पर ना रूकें। जिला प्रशासन द्वारा भी इसका विशेष ध्यान रखा जाय।

(ख) ढावा/रेस्तराँ/कैन्टीन संचालकों द्वारा यह व्यवस्था की जाय कि चालक/हेल्पर तैयार भोजन को अपने वाहन में ले जाकर ही सेवन करे।

(ग) खाना को बंद बरतन/Container में ही पार्सल किया जाय।

(घ) पैसे की लेन–देन के समय हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान रखें।

(11) <u>यत्र–तत्र थूकने पर प्रतिबंध</u> –

स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक – 447(15), दिनांक – 13.04.2020 के द्वारा तम्बाकू, पान–मसाला, इत्यादि का सेवन कर सार्वजनिक स्थानों एवं यत्र–तत्र थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए ढ़ावा/रेस्तराँ/कैन्टीन संचालक यह सुनिश्चित करें कि प्रतिष्ठान परिसर में किसी कर्मी/ग्राहक द्वारा यत्र–तत्र ना थूका जाय। यदि ऐसा करते हुये पाया गया तो संबंधित के विरूद्ध Epidemic Diseases Act तथा The Bihar Epidemic Diseases (COVID-19) Regulations, 2020 के तहत् भारतीय दण्ड विधान की धारा 188

तथा धारा 268/269 के तहत् छः मास की अवधि का कारावास एवं/अथवा 200 रुपया तक का जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

(12) <u>कचड़ा/दूषित खाद्य पदार्थों का समुचित निस्तारण</u> –

कचड़ा/दूषित खाद्य पदार्थों को डब्बा बंद कूड़ेदान में ही रखा जाय तथा इसे समुचित कूड़ा फेकने वाले स्थान पर हीं निस्तारित किया जाय।

(13) <u>कर्मी की संख्या का निर्धारण</u> –

प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मियों को एक–दिन के अंतराल पर कार्य हेतु बुलाया जाय, जिससे परिसर में भीड़ ना हो।

(14) <u>अर्द्ध–पका भोजन के परोसने पर रोक</u> –

अर्द्ध–पका भोजन खाने में ना परोसा जाय। फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थों को अच्छी तरीके से गर्म करने के पश्चात् ही परोसा जाय।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

20/4/2020

(संजय कुमार)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
–सह–
खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 15/खा० –24–05/2020 – 470(15)/स्वा० पटना/दिनांक : 20.04.2020

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार /पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/4/2020

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
–सह–
खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 15/खा० –24–05/2020 – 470(15)/स्वा० पटना/दिनांक : 20.04.2020

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, परिवहन विभाग/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/4/2020

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
–सह–
खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 15/खा० –24–05/2020 – 470(15)/स्वा० पटना/दिनांक : 20.04.2020

प्रतिलिपि – निदेशक, विनियामक अनुपालन प्रभाग, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

20/4/2020

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
–सह–
खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 15/खा० –24–05/2020 – 470(15)/स्वा० पटना/दिनांक : 20.04.2020

प्रतिलिपि – सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/4/2020

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
–सह–
खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 15/खा० –24–05/2020 – 470(15)/स्वा० पटना/दिनांक : 20.04.2020

प्रतिलिपि – सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी –सह– प्रभारी अभिहित अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त निदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि – आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/4/2020

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
–सह–
खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।